JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

किसान के विकास में बिहार फसल बीमा योजना एक वरदान

बीमा एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई बहुत से लोगों द्वारा इस मद में जमा की गई छोटी राशियों के योग से की जाती है। फसल बीमा योजना को उनके नियंत्रण बाहर के कारणों से पैदावर में होनेवाले नुकसान की भरपाई करता है। किसानों के हित में बिहार सरकार ने भी वर्ष 2016 खरीफ से लागू फसल बीमा योजना से राज्य के लगभग 16 लाख ऋणी किसान और 50 हजार से अधिक गैरऋणी किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। बिहार में फसल बीमा योजना लागू होने से किसानों को आर्थिक तंगी से मुक्त होंगे। क्योंकि किसानों को निम्नलिखित कारणों से फसल बर्बाद होने पर किसानों को फसल बीमा के नियमानुकूल आय प्रदत्त किये जाते हैं।

1. **प्राकृतिक आपदा और वज्रपात।**
2. **आंधी, तूफान, भूकंप और चक्रवात आदि।**
3. **मौसमी वर्षा।**
4. **बाढ, डूबना और भू–स्खलन।**
5. **कीट और बीमारी आदि।**

बिहार में कृषि का 65% हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। अध्ययनों का और किसानों मानना है कि पैदावार 50% विविधता वर्षा में अंतर के कारण ही है। पैदावार को अलग–अलग होती है। अब तो मौसम और खासकर बारिस का पूर्वानुमान भी मुश्किल हो गया है। मौसम पर नियत्रंण असम्भव है, इस कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर किसानों को होनेवाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना जरूरी है। बिहार में फसल बीमा योजना शुरू होने से बिहार के किसानों को ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधन राज्य है, यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि पर आधारित है। फसल बर्बाद हो जाने से किसान कर्जदार या कृषि करना ही छोड़ देते है। जबकि अब किसानों को विभिन्न–विभिन्न फसलों के मौसम में फसल बीमा नियमानुकूल आवेदन कर सकते हैं, ताकि फसल बर्बाद होने पर किसान को फसल बीमा के अनुकूल आय प्रदत्त किया जा सकता है। बिहार फसल बीमा योजना किसानों को होनेवाली नुकसान की भरपाई के लिए महत्त्वपूर्ण योजना लागू किया गया है।

अतुल कुमार मिश्रा
पता : ग्राम+पोस्ट–मुरैठ, थाना–जाले,
जिला–दरभंगा (बिहार)
मो0–9955502668